

भविष्य निधि सं./P. F. No.....

कर्मचारी सं./Staff No. }
या/or }
टिकट सं./Ticket No. }**भविष्य निधि नाम निर्देशन/Provident Fund Nomination**

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 14 जुलाई, 1950 का पत्र सं. एफ. (ई) 49-पी. एफ. 43/3 और

महा प्रबंधक का दिनांक 19 जुलाई, 1950 का पत्र सं. ई. 3174)

(Railway Board's No. F(E)49-P. F. 43/3 dated 14th July 1950 and
General Manager's No. E. 3174; dated 19th July 1950)

मैं.....एतद्वारा निदेश देता हूँ कि मेरी मृत्यु होने पर सरकारी रेलवे भविष्य निधि के मेरे लेखा सं.....में मेरे नाम रहनेवाली रकम का, जिसमें भूतपूर्व एम. एस. एम. रेलवे नियमों के भविष्य निधि नियम 7-ए/भूतपूर्व एस. आई. नियमों के नियम 19-ए/राजकीय रेलवे भविष्य निधि नियमों के नियम 1314 के अधीन देय विशेष अंशदान शामिल न हो, भुगतान निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को (उनके नामों के सामने दिखाये अनुसार) किया जाय।

I.....hereby direct that the amount at my credit in my Account No.....of the State Railway Provident Fund at the time of my death, not including the special contribution admissible under Provident Fund Rule 7-A of the Ex-M. & S. M. Railway Rules/Rule 19-A of the Ex-S. I. Railway Rules/Rule 1314 of the State Railway Provident Fund Rules, shall be paid to the following person/persons (in the manner shown against their names) :—

1	2	3	4	5	6
नामित व्यक्ति (या व्यक्तियों) का नाम और पता (साफ अक्षरों में) Name and address of the Nominee (or Nominees) (in Block letters)	अभिदाता से नामित व्यक्ति का संबंध, यदि कोई हो Nominee's relationship, if any, with the subscriber	नामित व्यक्ति की आयु Age of Nomi- nee	निधि की रकम या संचय का अंश जो नामित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए Amount or share of accumulation in the Fund to be paid to the nominee	किन-किन आकस्मिक गटनाएँ होने पर नाम निर्देशन अवैध हो जाएगा (नोट ३ भी देखें) Contingencies on the happening of which the Nomination shall become invalid (see Note 3 also)	उस व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम और पता तथा संबंध जिसको नामित व्यक्ति के अधिकार उसकी मृत्यु अभिदाता की मृत्यु के पहले होने के मामले में, प्रदत्त किये जाते हैं (साफ अक्षरों में) Name, address and relationship of the person if any, on whom the right of the Nominee is conferred in the event of his predeceasing the subscriber(in Block letters)

दिनांक/Dated this.....day of.....20.....स्टेशन/at.....पर/Station

साक्षी/WITNESS (1) { हस्ताक्षर/Signature.....
पदनाम/Designation.....
पता/Address.....साक्षी/WITNESS (2) { हस्ताक्षर/Signature.....
पदनाम/Designation.....
पता/Address.....अभिदाता के हस्ताक्षर/Signature of Subscriber
पदनाम/Designation.....
विभाग/Department.....

नोट/Note.— (1) कालम 4 इस प्रकार भरा जाय ताकि जमे की पूरी रकम शामिल हो/Column 4 should be filled in so as to cover the whole amount at credit.
(2) यदि केवल एक व्यक्ति नामित हो तो "व्यक्तियों" शब्द और ब्रैकेटों में दिये गये शब्दों को काट दिया जाये।
The word "persons" and words in brackets shall be struck off if only one person is nominated.
(3) जब कोई अभिदाता हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का XXXIX) के प्रवर्तन से छूट प्राप्त दूसरा कोई व्यक्ति हो, तब यह नाम निर्देशन, इसका विवाह या पुनर्विवाह होने पर तर्जित पूर्ण रूप से रद्द हो जायेगा।/Where a Subscriber is not a Hindu, Mohamedan, Buddhist or anyother person exempted from the operation of the Indian of the Indian Succession Act, 1925 (XXXIX of 1925), this nomination shall forthwith stand cancelled in its entirety on his marriage or re-marriage.

सं./No.....

तारीख/Date.....20.....

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/Forwarded to the Regional Accounts Officer.....को रिकार्ड के लिए अग्रेषित/for record.

स्टेशन/Station.....

विभागी अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of Departmental Officer